न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 37 / 2023 **दायर दिनांकः 04 / 12 / 2023**

उनवान

1. कन्याबाई आयु 59 वर्ष पत्नि स्व. देवीशंकर जाति नाई निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 6375493990
2. सावित्रीबाई आयु 44 वर्ष पुत्री गापीलाल पत्नि अशोक कुमार जाति नाई निवासी खरखडारामलोथान हाल निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनाकः 13.01.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान पटवार क्षेत्र खरखडा रामलोथान तहसील अटरू की खाता संख्या 96 का ख0नं0 401 का रकबा 1.12 है० व खाता संख्या 98 का ख0नं0 473 / 1291 का रकबा 0.18 है० तथा खाता संख्या 97 का कुल किता 6 का रकबा 2.82 है0 में प्रार्थिया क्रम 1 का नाम कन्याबाई के स्थान पर आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने कंचनबाई तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम सावित्रीबाई के स्थान मनोहरीबाई गलत दर्ज कर दिया तथा। खाता संख्या 354 का कुल किता 21 का रकबा 7.48 है0 में प्रार्थिया क्रम 1 का नाम सही दर्ज है तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम सावित्रीबाई के स्थान पर मनोहरबाई गलत दर्ज कर दिया तथा खाता संख्या 286 का ख0नं0 469 का रकबा 0.02 है0 गे.मु. चाह में प्रार्थिया क्रम 1 का सही नाम कन्याबाई दर्ज है परन्तु प्रार्थिया क्रम 2 का नाम सावित्रीबाई के स्थान मनोहरबाई गलत दर्ज कर दिया हैं। उपरोक्त आराजी प्रार्थियागण के अन्य सहखातेदारान के साथ शामलाती खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दीया सम्वत् 2073 से 2076

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थिया क्रम 1 का नाम कन्याबाई के स्थान कंचनबाई गलत दर्ज है तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम सावित्रीबाई के स्थान पर मनोहरबाई व मनोहरीबाई गलत दर्ज हैं। जबकि प्रार्थिया क्रम 1 कन्याबाई व प्रार्थिया क्रम 2 सावित्रीबाई के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी व सरपंच ग्राम पंचायत खरखडारारमलोथान के द्वारा जारी नाम शुद्धीकरण प्रमाण पत्र में प्रार्थिया क्रम 1 का सही नाम कन्याबाई तथा प्रार्थिया क्रम 2 का सही नाम सावित्रीबाई दर्ज हैं। इसलिए प्रार्थियागण का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। यह कि प्रार्थियागण का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थियागण को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थियागण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कंचनबाई के स्थान पर कन्याबाई तथा मनोहरीबाई व मनोहरबाई के स्थान पर सावित्रीबाई दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें।

अतः माननीय न्यायालय मे प्रार्थियागण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थियागण का नाम कंचनबाई के स्थान पर कन्याबाई तथा मनोहरीबाई व मनोहरबाई के स्थान पर सावित्रीबाई नाम दुरूस्त करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3747 दिनांक 18.12.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खरखडारामलोथान सम्वत 2073–76 खाता संख्या 96, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खरखडारामलोथान सम्वत 2073–76 खाता संख्या 97, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खरखडारामलोथान सम्वत 2073–76 खाता संख्या 98 नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खरखडारामलोथान सम्वत 2073–76 खाता संख्या 354, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खरखडारामलोथान सम्वत 2073–76 खाता संख्या 286, आधार कार्ड कन्या बाई, राशन कार्ड कन्या

Signature Not Verified
Digitally signed by: Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:54 IST
Reason: SelfAttested

बाई, बैंक पास बुक कन्या बाई ग्राम पंचायत खरखडारामलोथान प्रमाण पत्र कन्या बाई, आधार कार्ड सावित्री बाई, राशन कार्ड अशोक कुमार सेन, बैंक पास बुक सावित्री बाई, ग्राम पंचायत खरखडारामलोथान प्रमाण पत्र सावित्री बाई व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल खरखडारामलोथान के खाता संख्या 96, खाता संख्या 97, खाता संख्या 98 में सहखातेदार कंचन बाई पत्नी देवीशंकर के स्थान पर कन्या बाई पत्नी देवीशंकर किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा ग्राम व माल खरखडारामलोथान के खाता संख्या 96, खाता संख्या 97, खाता संख्या 98, खाता संख्या 354 व खाता संख्या 286 में सहखातेदार मनोहर बाई पुत्री गोपीलाल के स्थान पर सावित्री बाई पुत्री गोपीलाल किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल खरखडारामलोथान के खाता संख्या 96, खाता संख्या 97, खाता संख्या 98 में सहखातेदार कंचन बाई पत्नी देवीशंकर के स्थान पर कंचन बाई उर्फ कन्या बाई पत्नी स्व. देवीशंकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई व शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.0[illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:54 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां